



2026:AHC:25874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 530 / 2026

दिग्विजय सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजय मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., शिवेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र कुमार सिंह को सुना गया।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि उनके पास आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं। उन्होंने कोई भी शपथ पत्र दाखिल न करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 2006 में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। जब याचिकाकर्ता जनपद जालौन के विकास खंड कुठौंद में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात था, तब द्वितीय प्रतिवादी, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा दिनांक 30.12.2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया।
4. उक्त निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित निलंबन आदेश एक से अधिक कारणों से टिकने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि विवादित निलंबन आदेश के पैरा 1 से यह स्पष्ट होता है कि यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के कहने पर पारित किया गया है, जिन्होंने 29.08.2025 को याचिकाकर्ता के निलंबन की सिफारिश की थी। उनका कहना है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया और केवल 29.08.2025 के पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि यदि आरोपों को उनके प्रत्यक्ष रूप में भी मान लिया जाए, तो भी कोई बड़ा दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता को निलंबित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है, अतः निलंबन आदेश को रद्द किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही का सामना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन निलंबन आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निलंबन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के दिनांक 29.08.2025 के पत्र के आधार पर अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग किया और उसके पश्चात ही निलंबन आदेश पारित किया। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, विशेष रूप से तब जब खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता को न केवल निरीक्षण में स्वयं को संबद्ध करना था, बल्कि आवश्यक इनपुट भी प्रदान करने थे। उन्होंने बताया कि आरोप इतने गंभीर हैं कि याचिकाकर्ता को 2779 छात्रों का विवरण अपलोड करना था, लेकिन उसने केवल 432 छात्रों का विवरण ही अपलोड किया। उन्होंने आगे कहा कि शासनादेश दिनांक 28.06.2025 के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता को दो संस्थानों के बीच संबद्धता का कार्य करना था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा की गई त्रुटि के कारण वह नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन के संबंध में उपभोग/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और कुछ मामलों में यह 8 महीने से अधिक की देरी से था। उनके अनुसार, आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया जो उनसे अपेक्षित थे। अतः, याचिकाकर्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और अब याचिकाकर्ता को दिनांक 03.02.2026 को आरोप पत्र भी जारी किया जा चुका है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

8. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता खंड शिक्षा अधिकारी है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता का यह भी मामला नहीं है कि उसे किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है जो निलंबन के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा बिना स्वतंत्र विवेक के प्रयोग के निलंबन आदेश पारित किया गया है। इस तर्क का परीक्षण करने के लिए दिनांक 30.12.2025 के निलंबन आदेश के विवरण की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण रूप से, निलंबन आदेश के पहले पैराग्राफ में उल्लेख है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन की दिनांक 29.09.2025 की एक रिपोर्ट है। साधारण तौर पर, 'किसी के कहने पर या निर्देश पर' कार्य करने का सिद्धांत केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू होता है जब कोई उच्च प्राधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश पारित करने का निर्देश देता है, लेकिन यह सिद्धांत विपरीत स्थिति में कहीं भी लागू नहीं होता। यहाँ, न्यायालय पाता है कि यद्यपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दिनांक 29.08.2025 के दस्तावेज के रूप में इनपुट उपलब्ध थे, जो अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) के समक्ष विचारार्थ थे, लेकिन इसे 'निर्देश' या 'किसी के कहने पर' किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों और शिकायतों का विवरण दिया गया है। स्पष्ट रूप से, निलंबन आदेश को चुनौती देने के स्तर पर न्यायालय को आरोपों के गुण-दोष की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल इस तथ्य की आवश्यकता होती है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास निर्णय लेते समय विचार करने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि यह निलंबन का मामला है या नहीं। अतः, यह न्यायालय आरोपों के गुण-दोष की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता को निलंबित करते समय प्राधिकारी के पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. इसके अलावा, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 04.02.2026 के निर्देशों के अनुसार, दिनांक 03.02.2026 को एक आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। अब याचिकाकर्ता को उक्त कार्यवाही का विरोध करना है। जहाँ तक रिट-ए संख्या 13339 / 2025 निर्णीत दिनांक 16.01.2026 में समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसे का प्रश्न है, उस कानूनी सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य उससे भिन्न हैं।

10. तदनुसार, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है, रिट याचिका निस्तारित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए। चूंकि आरोप पत्र के साथ निर्देशों की प्रति आज याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की जा रही है, अतः यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र की पूर्ण जानकारी है। याचिकाकर्ता के सहयोग के अधीन, विभागीय कार्यवाही तीन महीने के भीतर समाप्त की जाएगी। याचिकाकर्ता को इस संबंध में निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा। यदि विभागीय कार्यवाही तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है और इसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता के पास निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए पुनः न्यायालय आने का अवसर होगा।

11. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और इसे परिशिष्ट 'बी' के रूप में अंकित किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"